न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3 आजमगढ़

CNR No.- UPAZ01-003395-2026

राज्य बनाम राकेश प्रजापति आदि

सत्र वाद संख्या -459/2026
अपराध संख्या-102/2025
धारा- 109/3(5) भा०न्याय०संहिता व
3/25 आर्म्स एक्ट
थाना-दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

दिनाँक- 28.04.2026

पुकार करायी गयी अभियुक्तगण राकेश प्रजापति, अनिल राजभर व अंकुश यादव व्यकिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। पत्रावली आज आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है। आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्य से अभियुक्तगण अनिल राजभर व अंकुश यादव के विरूद्ध धारा-109/3(5) भा०न्याय०संहिता व अभियुक्त राकेश प्रजापति के विरूद्ध धारा 109 भा०न्याय०संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप प्रथम दृष्टया बनना प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की। पत्रावली दिनाँक 12.05.2026 को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन तलब हों। नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.04.28 16:12:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3 आजमगढ़

<u>CNR No.- UPAZ01-003395-2026</u>

राज्य बनाम राकेश प्रजापति आदि

सत्र वाद संख्या -459/2026
अपराध संख्या-102/2025
धारा- 109/3(5) भा०न्याय०संहिता व
3/25 आर्म्स एक्ट
<u>थाना-दीदारगंज, जनपद आजमगढ़</u>

<u>आरोप</u>

मैं, अजय श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3 आजमगढ़ आप अभियुक्तगण **1. राकेश प्रजापति, 2. अनिल राजभर व 3. अंकुश यादव** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँः-

1. यह कि दिनांक 24/25.04.2025 को रात 1 बजे वहद स्थान ग्राम दरियापुर, पोस्ट भादो, जनपद आजमगढ पर आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा के लड़का हिमांशु यादव को जान से मारने की नियत से इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में अवैध असलहे से फायर कर उपहति कारित किया कि यदि आप लोगों के द्वारा उसकी मृत्यु कारित कर दी जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया जो **धारा-109/3(5) भा०न्याय०संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को निर्देश देता हूँ कि आप लोगो का परीक्षण उपरोक्त धारा के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक-28.04.2026 **(अजय श्रीवास्तव)**

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़
J.O. Code U P 2403

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया व परीक्षण की माँग किया।

दिनाँक- 28.04.2026 **(अजय श्रीवास्तव)**

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़

J.O. Code U P 2403

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3 आजमगढ़

CNR No.- UPAZ01-003395-2026

राज्य बनाम राकेश प्रजापति आदि

सत्र वाद संख्या -459/2026
अपराध संख्या-102/2025
धारा- 109/3(5) भा०न्याय०संहिता व
3/25 आर्म्स एक्ट
थाना-दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

आरोप

मैं, अजय श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3 आजमगढ़ आप अभियुक्त **1. राकेश प्रजापति** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँः-

2. यह कि उपरोक्त प्रकरण में आपको पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आपकी जामा तलाशी से एक अदद अवैध पिस्टल बरामद किया गया जिसको रखने का आप के पास कोई अधिकार पत्र मौजूद नहीं था तथा उक्त तमंचा से आपने वादी मुकदमा के लड़के पर फायर किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा-**3/25 आयुध अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आप लोगों को निर्देश देता हूँ कि आप लोगो का परीक्षण उपरोक्त धारा के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक-28.04.2026 **(अजय श्रीवास्तव)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़
J.O. Code U P 2403

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया व परीक्षण की माँग किया।

दिनाँक- 28.04.2026 **(अजय श्रीवास्तव)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़
J.O. Code U P 2403